



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235435
CG-DL-E-29042022-235435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1922]
No. 1922]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

का.आ. 2022(अ).—केंद्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 की उपधारा (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 मई, 2019 में संख्यांक का.आ. 1696 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित हुई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्र. सं. 3 के सामने, स्तंभ (2) में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“श्री राकेश कुमार सिंह,
मुख्य महाप्रबंधक
सेल, उच्चतापसह यूनिट,
भिलाई, मरौदा सिविक सेंटर,
दुर्ग, छत्तीसगढ़-490006”।

[फा. सं. 8(16)/2012-सेल-पीसी]

अभिजीत नरेन्द्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1696(अ), तारीख 6 मई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2022

S.O. 2022(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel number S.O. 1696 (E), dated the 11th April, 2019, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th May, 2019, namely:-

In the said notification, in the table, against S.No. 3, for the entries under column (2), the following entries shall be substituted, namely:-

“Shri Rakesh Kumar Singh,
Chief General Manager,
SAIL Refractory Unit, Bhilai,
Marauda Civic Centre, Durg,
Chhattisgarh-490006”.

[F. No. 8(16)/2012-SAIL-PC]

ABHIJIT NARENDRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1696 (E), dated the 6th May, 2019.